रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 1993/आषाढ़ 7, 1915
No. 125] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 1993/ASADHA 7, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 143/(पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 28 जून, 1993

फा. सं. 6/19/93-प्राई पी सी-2 :—निर्यात-आयात नीति, 1992—97, के पैराग्राफ 16 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992—97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. अध्याय—8 में पैराग्राफ 151(5)(1) में उक्त पैराग्राफ के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"नामित अभिकरण अर्थात् हस्तशिल्प तथा हथकर्घा निर्यात निगम (एच एच ई सी)/ राज्य व्यापार निगम (एस टी सी)/भारत का व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी टी ओ)/ खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) भी 0.995 शुद्धता के सोने का आयात कर सकते हैं और उस मामले में उपर्वेक्त नामित अभिकरणों को सरकारी टकसाल में आयातित सोने को जमा करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सरकारी टकसाल द्वारा परिवर्तन के बिना प्रतिपूर्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है" ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

सी. के मोदी,
महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 143|(PN)|92—97

New Delhi, the 28th June, 1993

F. No. 6|19|93-IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

1. In Chapter VIII, paragraph 151(5)(i), the following shall be added at the end of the said paragraph :—

"The nominated Agencies namely, Handicrafts & Handloom Export Corporation (HHEC)|State Trading Corporation(STC)|India Trade Promotion Organisations (ITPO)|Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) may also import gold of 0.995 fineness and in that case, the above said nominated agencies need not deposit the imported gold in the Government Mint and the same can be used as replenishment without conversion by the Government Mint".

2. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993